शैक्षिक समाचार राजस्थान

15

कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/एबी/3586/नो बैग डे/2020–21/6 दिनांकः– 2/11/2020

जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)
प्रारंम्भिक शिक्षा, (समस्त)

विषयः– राज्य में प्रत्येक शनिवार को विद्यालयों को नो बैग डे (बस्ता मुक्त दिवस) की कियान्विति के संबंध में।

प्रसंगः– राज्य सरकार के पत्र कमांक पं. 17(1)शिक्षा–1/नो बैग डे/2020 जयपुर दिनांक 16.10.2020 के कम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एंव प्रासंगिक पत्र के कम में लेख है कि मा. मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने अपने कार्यकाल के दूसरे बजट पेश करते हुए सभी सरकारी स्कूलों में शनिवार को नौ बैग डे धोषित किया ताकि स्कूलों मे पढने वाले छात्र–छात्राओं को पढाई का बोझ कुछ हद तक कम किया जा सके। कोरोना काल के कारण विद्यालय तो खोले गए है किन्तु राज्य सरकार के आदेशों की पालना में छात्र–छात्रा विद्यालय नहीं आएंगे। कोरोना काल की समाप्ति पश्चात् या जब भी सरकार द्वारा विद्यार्थियों की उपस्थिति हेतु दिशा–निर्देश जारी किये जाएंगे तब प्रत्येक शनिवार को नो बैग डे की योजना को अमल में लाया जाएगा।

नो बैग डे शनिवार को संस्था प्रधान एंव स्टॉफ का ये कार्य रहेगा कि विद्यालय समय में विद्यार्थियों को विभिन्न सहशैक्षिक गतिविधियों में व्यस्त रख all round development (सर्वागीण विकास) करने का दायित्व होगा। ऐसे में करवाई जाने वाली गतिविधियां निम्न प्रकार से हो सकती है।

1.पूरे विद्यालय को विभिन्न सदनों में बांटकर सदन वार प्रतियोगिता करवाना।
2.देशभक्ति गीत, संगीत क्वीज निबन्ध प्रतियोगिता, आशुभाषण, काव्य पाठन नृत्य गायन इत्यादि कार्य करवाना।
3.खेलकूद को बढावा देने हेतु खो–खो, चैस, बैंडमिंडन, वॉलीबाल,बास्केटबॉल, कब्बड़ी इत्यादि भी प्रतियोगिता करवायी जा सकती है।
4.स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है इस हेतु योगाभ्यास करवाया जा सकता हैं।
5.कक्षा मे कक्षाध्यापकों/विषयाध्यापकों द्वारा मौखिक गतिविधियां जैसे कविताएं, कहानियां, स्पेलिंग पूछना, पहेलियां करवाई जा सकती है।
6.नो बैग डे के दिन बच्चों से श्रमदान करवाया जा सकता है जिससे उनमें मेंहनत या काम करने की भावना जागृत हो।
7.वृद्धाश्रमों में सेवा के कार्य भी करवाये जा सकते है।
8.स्वंतत्रता सेनानी, सुधारक एंव महान वैज्ञानिकों पर फिल्म दिखाकर प्रेरित किया जा सकता है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

अतिरिक्त निदेशक (शैक्षिक)
प्रारंम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. संयुक्त शासन सचिव, राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग,शासन सचिवालय,जयपुर ।
2. निजी सचिव निदेशक महोदय कार्यालय हाजा को सूचनार्थ।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
प्रारंम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

AB 20/10/2020 (R) 19/10/2020 (5)

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक प. 17(1)शिक्षा–1 / No Bag Day / 2020 जयपुर, दिनांक : 16.10.2020

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।

विषय :– राज्य में प्रत्येक शनिवार को विद्यालयों को "No Bag Day (बस्ता मुक्त दिवस)" की क्रियान्विति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषण वर्ष 2020–21 के बिन्दु संख्या 97 "समस्त सरकारी विद्यालयों में शनिवार के दिन 'No Bag Day' रहेगा और उस दिन कोई अध्यापन कार्य नहीं होगा। इस दिन अभिभावक–अध्यापक (Parent-Teacher) मीटिंग के अतिरिक्त साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां, हैप्पीनेस थेरेपी, खेलकूद, व्यक्तित्व विकास, स्काऊट, जीवनमूल्य एवं नैतिक शिक्षा, बालसभायें तथा भाषा एवं कौशल विकास एवं निरोगी राजस्थान के सूत्रों से संबंधित क्रियायें संपादित करवायी जायेंगी, जिनमें अध्यापकों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जायेगा" के संबंध में गठित राज्य स्तरीय समिति से प्राप्त प्रतिवेदन एव गतिविधियों की निर्देश पुस्तिका का विभिन्न स्तरो पर प्रस्तुतिकरण किये जाने उपरान्त "नो बैग डे" की क्रियान्विति के लिए तैयार किए गये उद्देश्य परक अवधारणों पर आधारित ब्रॉशर का दिनांक 15.10.2020 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा विमोचन कर शुभारम्भ कर दिया गया है।

अतः ब्रॉशर एवं गतिविधियों की निर्देशिका संलग्न कर लेख है कि राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में शनिवार को "नो बैग डे" की क्रियान्विति निर्देशानुसार किया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

16/10/20

(राजेश वर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
3. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि "नो बैग डे" की क्रियान्विति के संबंध में आवश्यकता अनुसार विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाकर बजट घोषणा की उद्देश्य परक क्रियान्विति करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
4. निदेशक, आरएससीईआरटी, उदयपुर।
5. निदेशक, सीमेट, गोनेर, जयपुर।
6. पीरामल / बी.सी.जी फाउण्डेशन।
7. रक्षित पत्रावली।

16.10.2020

(डॉ. रणवीर सिंह)
विशेषाधिकारी–शिक्षा

कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर
20 OCT 2020
प्रा.शि./निजी सास 1743

कमरा नं. 1209, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान
E-mail - ds1edu@rajasthan.gov.in Phone - 0141-2227302

"No Bag Day" –

1. माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 20 फरवरी, 2020 को राज्य विधानसभा में बजट भाषण के दौरान शिक्षा विभाग से सम्बन्धित घोषणाओं (बिन्दु संख्या – 97) के अन्तर्गत समस्त सरकारी विद्यालयों में शनिवार के दिन "No Bag Day" रखे जाने और उस दिन कोई अध्यापन कार्य नहीं किए जाने बाबत निर्णय की घोषणा की गई थी। उक्तानुरूप सत्र :2022–23 में प्रत्येक सप्ताह में शनिवार को "बस्ता मुक्त दिवस" मनाया जाएगा ।
2. "No Bag Day" का उद्देश्य विद्यार्थियों के समग्र विकास एवं अन्तर्निहित क्षमताओं को पहचान कर अध्ययन – अध्यापन के पारम्परिक तरीकों से इतर सहगामी क्रियाओं के माध्यम से सीखने–सिखाने की प्रक्रिया को आनंददायी बनाना है।
3. इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक शनिवार को विद्यार्थी स्कूल बैग के बिना विद्यालय आएंगे।
4. प्रत्येक शनिवार को कक्षा स्तर के अनुसार थीम आधारित निम्नलिखित गतिविधियां करवाई जाएगी :–

क.सं0	शनिवार क्रमांक	थीम
1	माह का प्रथम शनिवार	राजस्थान का पहचानों
2	माह का द्वितीय शनिवार	भाषा कौशल विकास
3	माह का तृतीय शनिवार	खेलेगा राजस्थान–बढ़ेगा राजस्थान
4	माह का चतुर्थ शनिवार	मैं वैज्ञानिक बनूंगा
5	माह का पंचम शनिवार	बाल–सभा मेरे अपनों के साथ

5. "No Bag Day" के दिन आनंददायी तरीके से सीखने–सिखाने की प्रक्रिया कक्षावार न होकर निम्नांकितानुसार कक्षा समूहवार होगी।

क.सं0	समूह का नाम	कक्षा वर्ग
1	अंकुर	कक्षा 1 से 2
2	प्रवेश	कक्षा 3 से 5
3	दिशा	कक्षा 6 से 8
4	क्षितिज	कक्षा 9 से 10
5	उन्नति	कक्षा 11 से 12

6. 15 अगस्त, 26 जनवरी व 2 अक्टूबर के अतिरिक्त शिविरा पंचांग में दर्शाए गए/मनाए जाने वाले समस्त उत्सव जयन्तियां सम्मिलित है। प्रत्येक शनिवार को "बस्ता मुक्त दिवस" के रूप में आयोजन करने हेतु शिविरा पंचांग में सम्मिलित गतिविधियों/कार्यक्रमों/क्रियाकलापों के आयोजन "No Bag Day" हेतु निर्धारित समय सारिणी में से 40 मिनट का समय निकालकर विद्यालय संचालन के अंतिम समय में आयोजित किए जाएंगे।

7. सम्पूर्ण सप्ताह (सोमवार से रविवार) के दौरान पड़ने वाले उत्सवों/जयंतियों का विधिवत आयोजन सप्ताह में "बस्ता मुक्त दिवस" (शनिवार) को समारोहपूर्वक किया जाए, जिसके लिए रूप रेखा का निर्माण एवं पूर्व तैयारी सम्बन्धित शिक्षकों एवं आयोजन में सक्रिय भागीदारी निभाने वाले विद्यार्थियों द्वारा उक्त शनिवार से पूर्व की जाए।
8. **बस्ता मुक्त दिवस** मनाए जाने के कारण समस्त बाल सभाएं, मासिक स्टाफ बैठक, अभिभावक–शिक्षक बैठक(PTM), SDMC/SMC की कार्यकारिणी समिति की मासिक बैठक (वर्तमान में प्रतिमाह अमावस्या को आयोज्य), मीना–राजू/गार्गी मंच की बैठक इत्यादि कार्यक्रम भी **"बस्ता मुक्त दिवस" (शनिवार)** के अवसर पर आयोजित किए जाएं। माह के अंतिम शनिवार को उत्सव/जयन्ती/बाल सभा आयोजित करने के उपरान्त समस्त राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों एवं विद्यार्थियों द्वारा 40 मिनट स्वैच्छिक श्रमदान किया जाएगा।
9. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर तथा राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (RSCERT), उदयपुर तथा विभिन्न अभिकरणों एवं विभाग द्वारा समय–समय पर विद्यार्थियो में सृजनात्मक कौशल विकास तथा वैज्ञानिक अभिवृत्ति एवं अभिरूचि विकास के उद्देश्य से आयोजित की जाने वाली समस्त प्रतियोगिताएं विद्यालय स्तर पर शनिवार को ही आयोजित करवाई जाएं।
10. "बस्ता मुक्त दिवस" (शनिवार) के अवसर पर आयोजित होने वाले उत्सवों में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए विभिन्न सहशैक्षिक गतिविधियों यथा–खेलकूद, वाद–विवाद प्रतियोगिता, भाषण, निबन्ध–लेखन इत्यादि के आयोजन पर विशेष ध्यान दिया जाए।
11. प्रतिमाह एक बाल सभा में गांधीजी द्वारा प्रतिपादित "बुनियादी शिक्षा की अवधारणा" का ज्ञान विद्यार्थियों को देते हुए पारम्परिक घरेलू कुटीर उद्योग का व्यावहारिक प्रदर्शन करवाया जाए, जैसे मिट्टी के बर्तन या खिलौने बनाना, तकली कातना, चरखे का उपयोग इत्यादि। इस हेतु विद्यालय के आस–पास से आर्टिजन को विद्यालय में आमंत्रित किया जाकर प्रत्यक्ष प्रदर्शन करवाने का प्रयास किया जाए।

राजस्थान सरकार
युवा मामले एवं खेल विभाग

क्रमांक : जयपुर, दिनांक : 3 AUG 2022

समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान।

विषयः– राजीव गाँधी ग्रामीण ओलम्पिक 2022 खेलो के आयोजन बाबत।
सन्दर्भः–पत्र क्रमांक प.11(05)खेल/2021, जयपुर, दिनांक 18 नवम्बर, 2021

उक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2021–22 की घोषणा संख्या–62 की अनुपालना में ग्राम स्तर पर खेल प्रतिभाओं की खोज कर आगे लाने के लिए राज्य खेलों की तर्ज पर ग्राम पंचायत स्तर, ब्लॉकस्तर, जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय 'राजीव गाँधी ग्रामीण ओलम्पिक 2021–22 का आयोजन किया जाना है।

इस आयोजन में छः खेलों–कबड्डी, शूटिंग बॉल टेनिस बॉल, क्रिकेट, वॉली बॉल, हॉकी व खो–खोको शामिल किया गया है। इसका शुभारंभ 29 अगस्त, 2022 को प्रस्तावित है जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

प्रतियोगिता की संरचना

प्रतियोगिता का नाम	प्रतियोगिता की तिथि	अवधि
ग्राम पंचायत स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं	29.08.2022	4 दिन
ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं	12.09.2022	4 दिन
जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं	22.09.2022	3 दिन
राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं	02.10.2022	4 दिन

चूंकि खेल विभाग का कार्यालय जिला स्तर तक ही है एवं ब्लॉक/ग्राम पंचायत स्तर पर कोई कार्यालय नहीं है, इसलिए इन खेलों के ग्राम एवं ब्लॉक स्तर आयोजन के लिए मुख्यतया जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग एवं पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के सहयोग से आयोजित किया जाना है। इन खेलों के आयोजन हेतु निम्नानुसार आयोजन समिति का गठन किया गया है।

(a) ग्राम पंचायत स्तर पर समिति–

- सरपंच, ग्राम पंचायत – संयोजक
- प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक राजकीय विधालय – सदस्य
- ग्राम सचिव, ग्राम पंचायत – सदस्य
- पटवारी, ग्राम पंचायत – सदस्य
- शारीरिक शिक्षक – सदस्य

ग्राम पंचायत स्तर समिति के कार्य	• खिलाडियों को रजिस्ट्रेशन हेतु प्रोत्साहित करना एवं रजिस्ट्रेशन करवाना तथा खेलों का प्रचार–प्रसार करना।
	• रेवन्यू ग्राम की टीमों का चयन।
	• पंचायत स्तर पर खेलों के आयोजन की तैयारी एवं व्यवस्था
	• आवश्यक खेल उपकरणों का क्रय।
	• ग्राम पंचायत स्तर पर विजेता टीमों को खेलकिट (टी–शर्ट, नेकर) का वितरण।
	• ग्राम पंचायत की टीम का चयन कर गठन करना एव उनको ब्लॉकस्तर में भाग लेने की व्यवस्था देना।

(b) **ब्लॉक स्तर पर समिति–**

- उपखण्ड अधिकारी, पंचायत समिति – संयोजक
- प्रधान, ब्लॉक पंचायत समिति – सदस्य
- ब्लॉक विकास अधिकारी, पंचायत समिति – सदस्य
- ब्लॉक शिक्षा अधिकारी – सदस्य
- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का प्रतिनिधि – सदस्य
- जिला खेल अधिकारी का प्रतिनिधि – सदस्य
- शारीरिक शिक्षक – सदस्य

ब्लॉक स्तर पर समिति के कार्य	• खेलों का प्रचार–प्रसार।
	• ब्लॉक स्तर पर खेलों की तैयारी एवं आयोजन।
	• रेफरी की व्यवस्था, खेल मैदान का चिन्हिकरण।
	• तीन सेट खेल उपकरणों का क्रय।
	• ब्लॉक स्तर पर एक समय का भोजन एवं पानी की व्यवस्था।
	• विजेता टीमों को जिला स्तर में भाग लेने की व्यवस्था।

उक्त ग्राम पंचायत स्तरीय समिति, अपने रेवेन्यू ग्रामों के प्रस्तावित छः खेलों की टीमों का चयन तथा ग्राम पंचायतों पर खेल मैदान एवं अन्य सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित कर जिला कलक्टर/खेल अधिकारी को जिला मुख्यालय पर सूचित करेंगे। सभी जिला खेल अधिकारी अपने जिले की सभी ग्राम पंचायतों के खिलाडियों, गठित टीमों एवं खेल मैदानों की सूची जिला कलक्टर के निर्देशानुसार तैयार करवाएंगे।

ग्राम पंचायत, ब्लॉक एवं जिला स्तर पर बजट प्रावधान

क्र.सं.	स्तर	कार्य	प्रति राशि	राशि
1.	ग्राम पंचायत (11341)	प्रतियोगिता आयोजन	6000	680.50 लाख
		खेल सामग्री (1 सेट)	3150	357.50 लाख
		कुल		**1038.00 लाख**
2.	ब्लॉक स्तर 352	प्रतियोगिता आयोजन	10000	35.20 लाख
		खेल सामग्री (3 सेट)	6300	33.26 लाख
		भोजन (11341)	5600	623.95 लाख
		अन्य	3000	10.55 लाख
		कुल		**703.00 लाख**

इन व्यवस्थाओं के लिए उक्त अनुसार बजट राशि शिक्षा विभाग को उपलब्ध करवा दी जाऐगी।

अतः अनुरोध है कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलम्पिक 2022 खेलों के आयोजन हेतु संबंधित अधिकारियों को उक्तानुसार निर्देश प्रदान करवाएं।

(नरेश कुमार ठकराल)
शासन सचिव
युवा मामले एवं खेल विभाग

प्रतिलिपि –

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर।

उप शासन सचिव
युवा मामले एवं खेल विभाग

"No Bag Day" –

1. माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 20 फरवरी, 2020 को राज्य विधानसभा में बजट भाषण के दौरान शिक्षा विभाग से सम्बन्धित घोषणाओं (विन्दु संख्या – 97) के अन्तर्गत समस्त सरकारी विद्यालयों में शनिवार के दिन "No Bag Day" रखे जाने और उस दिन कोई अध्यापन कार्य नहीं किए जाने बावत निर्णय की घोषणा की गई थी। उक्तानुरूप सत्र :2022–23 में प्रत्येक सप्ताह में शनिवार को "बस्ता मुक्त दिवस" मनाया जाएगा ।
2. "No Bag Day" का उद्देश्य विद्यार्थियों के समग्र विकास एवं अन्तर्निहित क्षमताओं को पहचान कर अध्ययन – अध्यापन के पारम्परिक तरीकों से इतर सहगामी क्रियाओं के माध्यम से सीखने–सिखाने की प्रक्रिया को आनंददायी बनाना है।
3. इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक शनिवार को विद्यार्थी स्कूल बैग के बिना विद्यालय आएंगे।
4. प्रत्येक शनिवार को कक्षा स्तर के अनुसार थीम आधारित निम्नलिखित गतिविधियां करवाई जाएगी :–

क.सं0	शनिवार क्रमांक	थीम
1	माह का प्रथम शनिवार	राजस्थान का पहचानों
2	माह का द्वितीय शनिवार	भाषा कौशल विकास
3	माह का तृतीय शनिवार	खेलेगा राजस्थान–बढ़ेगा राजस्थान
4	माह का चतुर्थ शनिवार	मैं वैज्ञानिक बनूंगा
5	माह का पंचम शनिवार	बाल–सभा मेरे अपनों के साथ

5. "No Bag Day" के दिन आनंददायी तरीके से सीखने–सिखाने की प्रक्रिया कक्षावार न होकर निम्नांकितानुसार कक्षा समूहवार होगी।

क.सं0	समूह का नाम	कक्षा वर्ग
1	अंकुर	कक्षा 1 से 2
2	प्रवेश	कक्षा 3 से 5
3	दिशा	कक्षा 6 से 8
4	क्षितिज	कक्षा 9 से 10
5	उन्नति	कक्षा 11 से 12

6. 15 अगस्त, 26 जनवरी व 2 अक्टूबर के अतिरिक्त शिविरा पंचांग में दर्शाए गए/मनाए जाने वाले समस्त उत्सव जयन्तियां सम्मिलित है। प्रत्येक शनिवार को "बस्ता मुक्त दिवस" के रूप में आयोजन करने हेतु शिविरा पंचांग में सम्मिलित गतिविधियों/कार्यक्रमों/क्रियाकलापों के आयोजन "No Bag Day" हेतु निर्धारित समय सारिणी में से 40 मिनट का समय निकालकर विद्यालय संचालन के अंतिम समय में आयोजित किए जाएंगे।

7. सम्पूर्ण सप्ताह (सोमवार से रविवार) के दौरान पड़ने वाले उत्सवों/जयंतियों का विधिवत आयोजन सप्ताह में "बस्ता मुक्त दिवस" (शनिवार) को समारोहपूर्वक किया जाए, जिसके लिए रूप रेखा का निर्माण एवं पूर्व तैयारी सम्बन्धित शिक्षकों एवं आयोजन में सक्रिय भागीदारी निभाने वाले विद्यार्थियों द्वारा उक्त शनिवार से पूर्व की जाए।
8. **बस्ता मुक्त दिवस** मनाए जाने के कारण समस्त बाल सभाएं, मासिक स्टाफ बैठक, अभिभावक–शिक्षक बैठक(PTM), SDMC/SMC की कार्यकारिणी समिति की मासिक बैठक (वर्तमान में प्रतिमाह अमावस्या को आयोज्य), मीना–राजू/गार्गी मंच की बैठक इत्यादि कार्यक्रम भी **"बस्ता मुक्त दिवस" (शनिवार)** के अवसर पर आयोजित किए जाएं। माह के अंतिम शनिवार को उत्सव/जयन्ती/बाल सभा आयोजित करने के उपरान्त समस्त राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों एवं विद्यार्थियों द्वारा 40 मिनट स्वैच्छिक श्रमदान किया जाएगा।
9. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर तथा राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (RSCERT), उदयपुर तथा विभिन्न अभिकरणों एवं विभाग द्वारा समय–समय पर विद्यार्थियो में सृजनात्मक कौशल विकास तथा वैज्ञानिक अभिवृत्ति एवं अभिरूचि विकास के उद्देश्य से आयोजित की जाने वाली समस्त प्रतियोगिताएं विद्यालय स्तर पर शनिवार को ही आयोजित करवाई जाएं।
10. "बस्ता मुक्त दिवस" (शनिवार) के अवसर पर आयोजित होने वाले उत्सवों में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए विभिन्न सहशैक्षिक गतिविधियों यथा–खेलकूद, वाद–विवाद प्रतियोगिता, भाषण, निबन्ध–लेखन इत्यादि के आयोजन पर विशेष ध्यान दिया जाए।
11. प्रतिमाह एक बाल सभा में गांधीजी द्वारा प्रतिपादित "बुनियादी शिक्षा की अवधारणा" का ज्ञान विद्यार्थियों को देते हुए पारम्परिक घरेलू कुटीर उद्योग का व्यावहारिक प्रदर्शन करवाया जाए, जैसे मिट्टी के बर्तन या खिलौने बनाना, तकली कातना, चरखे का उपयोग इत्यादि। इस हेतु विद्यालय के आस–पास से आर्टिजन को विद्यालय में आमंत्रित किया जाकर प्रत्यक्ष प्रदर्शन करवाने का प्रयास किया जाए।
12. विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं को सहशैक्षिक गतिविधियों में सम्मिलित किया जाए।
13. जेण्डर इक्विटी गतिविधि अन्तर्गत बालिका सशक्तिकरण हेतु समग्र शिक्षा द्वारा संचालित निम्नांकित दूरगामी और नियमित गतिविधियों (शनिवारीय/गैर शनिवारीय गतिविधियों) को निम्नानुसार संचालित किया जाए।

	गतिविधि	लाभान्वित वर्ग	समय–सीमा
	पार्ट–1		
	किशोरी सशक्तीकरण की गतिविधियां मीना राजू मंच एवं गार्गी मंच का संचालन	कक्षा 6 से 12 तक के समस्त विद्यार्थी	प्रति सप्ताह एक कालांश
	सुरक्षित विद्यालय वातावरण निर्माण एवं बाल सुरक्षा संरक्षा	कक्षा 1 से 12 तक के समस्त विद्यार्थी	प्रति सप्ताह एक कालांश
	साइबर सुरक्षा एवं जिम्मेदार नेटीजन	कक्षा 6 से 12 तक की समस्त बालिकाएं	प्रति सप्ताह एक कालांश
	पार्ट–2		
	रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण	कक्षा 6 से 12 तक की समस्त बालिकाएं	प्रति सत्र 45 दिवस (प्रतिमाह 15 दिवस अनवरत तीन माह)
	"उपरोक्त गतिविधियां नो–बैग–डे दिवस को आवश्यकतानुसार आयोजित करवाया जाना सुनिश्चित करावें"		

.....

विद्यालय में करेंगे क्या? समाधान है सप्ताह में एक दिन बच्चे शरीर, मन, आत्मा का विकास करने वाली शिक्षा ग्रहण करेंगे। अपनी प्रतिभा का विकास करेंगे। शिक्षा शब्द को सार्थकता देंगे और इस शनिवार को नाम दिया आनंदवार अर्थात शनिवार की शिक्षा बच्चों को शिक्षा के साथ-साथ आनंद, उल्लास और उमंग देने वाली भी हो। यह एक प्रयास है बालक को तनाव मुक्त, आनंददायी, सृजनात्मक/प्रयोगात्मक शिक्षा देने का। वर्तमान में चल रही शिक्षा प्रणाली में बिना ज्यादा बदलाव किए, वर्तमान दायरे में रह कर भी शिक्षा को सहज, बोधगम्य, तनाव रहित, व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों का विकास करने वाला बनाया जा सकता है। ऐसी अनेक बातें हैं, विभिन्न प्रकार के विषय है जो क्रिया आधारित है। जिनके लिए किताब या बस्ता ज़रूरी नहीं है।

आनंदवार अर्थात शनिवार को भी नियमानुसार कालांश तो लगे पर उनका प्रकार कुछ बदला सा हो।

सादर विचारार्थ सुझाव स्वरूप यह कालांश योजना प्रस्तुत है जिनके आधार पर दिनभर की गतिविधियां सम्पन्न हो सकती है।

प्रथम कालांश- योग, आसन, प्राणायाम व्यायाम - प्रार्थना सत्र के पश्चात पहला कालांश योग-आसन, प्राणायाम, व्यायाम का रहे। बालक का शरीर स्वस्थ रहेगा, मज़बूत बनेगा तो निश्चित रूप से अधिगम भी प्रभावी होगा। कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। प्राणायाम-व्यायाम के संस्कार विद्यार्थी के लिए जीवन पर्यंत काम आएँगे। इस कालांश में कौन से योग व्यायाम करवाना इसके लिए हमारे विभाग मे बहुत से एक्सपर्ट शारीरिक शिक्षक उपलब्ध हैं उनसे सलाह करके एक कॉमन योग कार्यक्रम तय किया जा सकता है। इसका एक सरल तरीका और है। विश्व योग दिवस का जो प्रोटोकॉल है, वह भी लगभग 40 मिनिट का है, उसका अभ्यास हो सकता है। उसमें सब प्रकार के योग व्यायाम एवं प्राणायाम सम्मिलित हैं। उसे हूबहू भी अपना सकते हैं अथवा कुछ संशोधन करके भी अपना सकते हैं। इस पहले कालांश को शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए काम में लिया जाना चाहिए

दूसरा कालांश : श्रमदान-स्वच्छता-पर्यावरण संरक्षण - इस कालांश में विद्यालय परिसर की स्वच्छता का कार्य, श्रमदान एवं पर्यावरण संबंधित कार्यों का निष्पादन होगा। विद्यालय में वृक्षारोपण, उनकी सार संभाल, सुरक्षा, पानी पिलाना, आवश्यकता होने पर कटाई-छंटाई, कचरा निष्पादन आदि कार्य।

तीसरा कालांश : संगीत अभ्यास - इस कालांश में गीत अभ्यास, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, प्रतिज्ञा, प्रार्थना का अभ्यास हो। कई बार यह देखा जाता है कि वर्षों तक विद्यालय में पढ़ने के बावजूद कुछ छात्रों को प्रार्थना और प्रतिज्ञा भी याद नहीं हो पाते हैं, यह कालांश उनके लिए भी उपयोगी सिद्ध होगा। उपलब्ध हो तो वाद्ययंत्र का अभ्यास और कभी-कभी डांस क्लास (नृत्य अभ्यास) भी इस कालांश में करवाया जा सकता है।

चतुर्थ कालांश : खेल-कूद - कुछ खेल इंडोर हो सकते है कुछ आउटडोर भी हो सकते हैं।

अत्यधिक धूप की स्थिति में कक्षा कक्ष में ही दिमागी खेल, छोटे समूह के खेल इत्यादि हो सकते हैं। कुल मिलाकर इस खेल कालांश के लिए दो प्रकार की योजनाएँ की जानी चाहिए - इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स। शारीरिक शिक्षकों की सलाह लेकर ऐसे अलग-अलग खेलों की विस्तृत सूची बनाकर सभी विद्यालयों को देनी चाहिए। बहुत सारे खेल ऐसे होते हैं जिन्हें बिना किसी साधन के भी अथवा न्यूनतम खर्च के संसाधनों के द्वारा खेला जा सकता है जैसे कबड्डी, विभिन्न प्रकार की दौड़े, रूमाल झपट्टा, ऊँची कूद, लंबी कूद इत्यादि

पंचम कालांश : अभिव्यक्ति कालांश- मध्यावकाश बाद के इस कालांश में कविता, नाटक, वाद-विवाद समूह चर्चा (ग्रुप डिस्कशन) अंत्याक्षरी (हिन्दी-अंग्रेजी) चित्रकला इत्यादि। बस्ता नहीं लाना है तो चित्रकला की कॉपी भी नहीं लानी है। अतः श्यामपट्ट पर, कक्षा-कक्ष अथवा बरामदे में फर्श पर चॉक से, मैदान में पेड़ों की छाँव तले मिट्टी पर पानी छिड़क कर छोटी लकड़ी से भी चित्र बनाए जा सकते हैं। मैदान के कंकरों की सहायता से रंगोली भी बनायी जा सकती है।यह प्रयोग हमने किया हुआ है। कंकर को रंग करने के बाद उनसे विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ और रंगोलियाँ बनाई जा सकती है। इसमें लाभ यह है कि एक बार काम में लेने के बाद इन्हें पुनः काम में लिया जा सकता है जबकि सामान्य रंगोली के रंग दोबारा काम नहीं आ सकते। साथ ही इन कक्षाओं में समूह चर्चा के लिए बहुत सारे विषय छाँट कर उनकी एक विस्तृत सूची बनाकर समस्त विद्यालयों को उपलब्ध करवाई जा सकती है। वर्ष भर में लगभग 40 शनिवार कार्य दिवस के रूप में आएँगे। ऐसे में लगभग 40 विषयों की सूची बनाकर विद्यालय को देनी चाहिए जिनमें से शिक्षक अपनी सुविधानुसार कक्षाओं में समूह चर्चा ले सकें जैसे पर्यावरण संरक्षण, साक्षरता में हमारी भूमिका, सड़क सुरक्षा, हमारे महापुरुष, आदर्श विद्यार्थी के गुण, मेरा गाँव मेरा गौरव, स्वास्थ्य के आधार बिंदु, भोजन क्या करें कैसे करें... इत्यादि बहुत सारे विषय हो सकते हैं।

षष्ठम कालांश : पुस्तकालय एवं वाचनालय - इस कालांश में सभी कक्षाओं में छात्र संख्या के अनुरूप पुस्तकें वितरित की जाए। पुस्तकालय प्रभारी संबंधित कक्षाओं के शिक्षकों को पुस्तकें देंगे। इस कालांश में पढ़कर पुनः शिक्षक के माध्यम से पुस्तकालय प्रभारी को जमा करना है। लगभग सभी विद्यालयों में जितने विद्यार्थी हैं इतनी पुस्तकें तो उपलब्ध है ही। उससे ज्यादा भी हो सकती है। अपवाद स्वरूप यदि किन्हीं विद्यालयों में पुस्तकालय में पुस्तक नहीं है तो बैग फ्री सैटरडे के बहाने वहाँ भी पुस्तकालय विकसित हो जाएगा। किसी न किसी योजना से सभी विद्यालयों में पुस्तकालय तो होना ही चाहिए।

सप्तम कालांश : मौखिक गणित एवं भूगोल- यह भी अनेक बार का अनुभूत प्रयोग हैं, कई बार करवाया है और बच्चों को इसमें बड़ा आनंद आता है। पहाड़ा अभ्यास, हाथ की अंगुलियों पर-टिप्स पर सामान्य गणितीय क्रियाओं का मौखिक अभ्यास, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, प्रतिशत, बट्टा आदि। साथ ही इस कालांश में सामान्य ज्ञान एवं भूगोल को भी पढ़ाया जा सकता है। मानचित्र परिचय, विश्व, भारत, राजस्थान के राजनैतिक, प्राकृतिक मानचित्र का अवलोकन, उसमें अलग अलग स्थानों को, नदी, पर्वत खोजना इत्यादि। (उपलब्ध हो तो इस कालांश में कम्प्यूटर

शिक्षण भी हो सकता है।)

अष्टम कालांश : अभिप्रेरणा बालसभा, बोधकक्षा, नैतिक शिक्षा, कॅरियर गाइडेंस इत्यादि। सप्ताह भर में आने वाले सभी उत्सव एवं महापुरुषों की जयंतियों का आयोजन भी इस कालांश में हो सकता है। पहला एवं अन्तिम कालांश सामूहिक भी रह सकता है और सुविधानुसार कक्षानुसार भी हो सकता है। कालांशों के विषय सुझाव स्वरूप उल्लेखित किए हैं। विभागीय आदेश ही मान्य होंगे। इनका क्रम विद्यालय स्तर पर सुविधानुसार निर्धारित किया जा सकता है, कक्षानुसार बदला जा सकता है। बैग फ्री सैटरडे का अर्थ यह कतई नहीं है की अध्ययन अध्यापन में कोई कजूसी हो। पाँच दिन जमकर पढ़ाई और छठे दिन शनिवार को व्यक्तित्व विकास, सृजनात्मकता, अभिव्यक्ति। बैग फ्री सैटरडे की अर्थात आनंदवार की योजना से हमारी कालांश व्यवस्था में भी बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ेगा कारण कि सभी कक्षाओं में प्रतिदिन एक न एक पीरियड कला शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा या समाजोपयोगी कार्य के नाम पर होता है। सप्ताह भर के उन सारे कलांशों को मिलाकर शनिवार के 1 दिन में मर्ज करना, इतनी सी बात है। विभिन्न विषयों को मिलने वाले अध्ययन-अध्यापन के कालांश उतने ही रहेंगे। जितने भी सह शैक्षणिक आयोजन करने हैं रैली इत्यादि निकालनी है वह सभी आयोजन इस बैग फ्री सैटरडे को हो सकते हैं शेष 5 दिन केवल शुद्ध रूप से अध्ययन-अध्यापन कार्य ही चले।

इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा बेग फ्री सेटरडे की घोषणा मौजूदा शिक्षा प्रणाली में बिना बदलाव के, बिना किसी वित्तीय भार के इस उपाय से शिक्षा को आनंददायी और विद्यालय परिसर को जीवन निर्माण केन्द्र बना सकने में सक्षम होगी। विद्यार्थियों के सामने भविष्य में आने वाली सामाजिक, स्वास्थ्य एवं नैतिक मूल्यों से जुड़ी चुनौतियों का सामना करने वाली पीढ़ी के निर्माण में इस विचार की क्रियान्विति महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकती है।

पुनः एक बार शनिवार को बस्ते की छुट्टी करने के लिए अर्थात बैग फ्री सैटरडे लिए राज्य सरकार का , शिक्षा मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार! धन्यवाद! अभिनंदन!

शांति नगर, बी-ब्लॉक,
रामदेव कॉलोनी के पास, जालोर-343001

पर्यावरण संरक्षण

पर्यावरण में पंचवटी का महत्त्व

❑ राजेन्द्र कुमार डुंडाड़ा

ऋषि मुनियों के कथनानुसार सेन्ट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीटयूट के वैज्ञानिकों ने अपने शोध में रामायण की उस पंचवटी को शामिल किया जहाँ भगवान श्रीराम ने वनवास के चौदह वर्षों में निरोग एवं स्वस्थ जीवन व्यतीत किया था। उन्होंने पंचवटी में शामिल पाँच वृक्षों- पीपल, वट, बेल, अशोक एवं आंवला पर अलग-अलग शोध किया, शोध के बाद जो परिणाम आए वे बेहद चौंकाने वाले थे। वैज्ञानिकों ने पाया कि पंचवटी के आस-पास रहने से अनेक बीमारियों की आशंका कम हो जाती है, शोध से इस निष्कर्ष पर पहुँचा गया कि पंचवटी में लगने वाले पौधों के अपने अलग-अलग लाभ हैं, इन वृक्षों अथवा इनके फलों से न केवल सामान्य से अलग वातावरण तैयार होता है, बल्कि उससे मानव शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है।

शोध में पाया गया कि पीपल का सामान्य वृक्ष 1800 कि.ग्रा. प्रति घण्टे की दर से ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है। वट का वृक्ष न केवल गर्मी रोकता है, अपितु प्राकृतिक वातानुकूलता का कार्य भी करता है। आंवले में पाया जाने वाला विटामीन 'सी' जहाँ प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का सबसे सस्ता साधन है, वहीं बेल का नियमित सेवन लोगों को उदर की बीमारियों से बचाता है। अशोक के वृक्ष का उपयोग महिलाओं को कई बीमारियों से बचाता है। पंचवटी के पाँच वृक्षों में हर एक को लगाने की अलग-अलग विधियाँ हैं। कौनसा पेड़ किस

दिशा में लगाना है तथा कितनी दूरी पर होना चाहिए इसका भी वैज्ञानिक आधार है। पीपल का पेड़ पूर्व दिशा में लगाने पर अधिक ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है, वट का वृक्ष पश्चिम में लगाए जाने पर प्राकृतिक रूप से वातानुकूलन का कार्य अधिक सुचारू रूप से करता है। आँवला दक्षिण में लगाना चाहिए। बेल का उत्तर में तथा अशोक दक्षिण-पूर्व में लगाए जाने पर स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। पेड़ों के बीच लगभग 10-11 मीटर की दूरी होनी चाहिए।

ऋषि मुनियों का मानना है कि वर्ष भर चलने वाली हवाओं की दिशाएँ अलग-अलग होती हैं। पंचवटी में अलग-अलग दिशाओं में लगे पौधों से गुजर कर आने वाली हवा आरोग्यवर्द्धक होती है। इसके बीच में अगर विश्राम चौकी स्थापित करें और बीमारी से उठा व्यक्ति वहाँ बैठता है तो यह मिश्रित हवा स्वास्थ्यवर्द्धक होने के कारण व्यक्ति जल्दी स्वस्थ हो जाता है। इन वृक्षों के पते झड़ने और फल आने का समय भी वर्ष में अलग-अलग होने के कारण ये वृक्ष, वर्ष भर छाया और फल देते हैं।

प्रदेश में पर्यावरण को सुधारने के लिए ये वृक्ष विद्यालयों, कार्यालयों, सार्वजनिक पार्कों में लगाने चाहिए ताकि पर्यावरण के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन के बढ़ते दुष्प्रभाव को रोका जा सके, पंचवटी पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए हितकारी, सस्ती और सुगम है साथ ही ह किसी के लिए फायदेमंद है। पंचवटी के पौधों जीवन में काफी लाभ मिलता है। मुनियों पंचवटी के महत्त्व के बारे में बताते हुए लिखा कि जिस स्थान पर पंचवटी के पौधे होते हैं वा नियमित रूप से बैठने से मन को शान्ति पवित्रता मिलती है एवं तन निरोग एवं स्व रहता है।

सहायक प्रशासनिक अधिक
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीक
मो: 9414989

शैक्षिक समाचार राजस्थान

Shaikshik Samachar Rajasthan

हमारे द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न पोर्टल में ज्वाइन करने के लिए दिए गए नाम के सामने क्लिक करें

S.N	GROUP NAME	JOIN GROUP
1	TWITTER	CLICK HERE
2	FACEBOOK	CLICK HERE
3	WEBSITE (RAJGYAN)	CLICK HERE
4	TELEGRAME	CLICK HERE
5	TELEGRAME SAMADHAN	CLICK HERE

शैक्षिक समाचार राजस्थान